प्रारूप 2

कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर।

पत्रांक /मान्यता/ 781-84 /2015–16 दिनांक– 22.5.15

✓**प्रबंधक,**
विस्टोरिया एकेडमी,
रावतयाना, नगरक्षेत्र, जनपद–ललितपुर।

विषय– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं **विस्टोरिया एकेडमी, रावतयाना, नगरक्षेत्र, जनपद–ललितपुर को तारीख 01.04.2015 से तारीख 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राईमरी से कक्षा 08 तक के लिए (अंग्रेजी माध्यम)** अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

02. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या **25 प्रतिशत** तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

04. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शंक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हतांऐं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतांऐं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्‌यचर्या के आधार पर पाठ्‌यकम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	–
कुल निर्मित क्षेत्र	–	–
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	–	–
कक्षाओं की संख्या	–	14
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार के लिए कक्ष	–	है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	है।
पेयजल सुविधा	–	जैटपम्प।
मिड्डे मील पकाने के लिए रसोई	–	–
बाधारहित पहुँच	–	है।
अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता	–	है।

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टी, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक..है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट यदि सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संरकार/स्थानीय प्राधिकारी के पत्र अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के संतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त– अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन–पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन–पाठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का कय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर कय हेतु बाध्य किया जाय।

भवदीय

(विनोद कुमार मिश्रा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
ललितपुर।

पृष्ठांकन / /2015–16 तद् दिनांकित्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झांसी मण्डल झांसी।
02. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–ललितपुर।
03. जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।

(विनोद कुमार मिश्रा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
ललितपुर।